प्रेस नोट–215/2026
दिनांक 19.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना तिलहर

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.04.2026 को थाना तिलहर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरयू पुलिया के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–कपिल 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना तिलहर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना तिलहर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कपिल निवासी ग्राम राजनपुर थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

2–अभियुक्ता।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.04.2026 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त साबिर अली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपरधी है, जो थाना कसया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साबिर अली निवासी नरहवा थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार।

जनपद औरैया/थाना दिबियापुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 02 लाख 53 हजार 200 रूपये नगद**
- **01 लैपटॉप**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 19.04.2026 को थाना दिबियापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हीरा का पुर्वा पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शिवम 2–आशीष कुमार घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–असद उर्फ पोपे सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 53 हजार 200 रूपये नगद, 01 लैपटॉप, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.04.2026 को थाना दिबियापुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शिवम के विरूद्ध जनपद औरैया, कानपुर देहात के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त आशीष कुमार के विरूद्ध जनपद औरैया के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना दिबियापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवम निवासी ग्राम पचपेडा थाना सहार जनपद औरैया।

2–आशीष कुमार निवासी ग्राम फतेहपुर थाना सहार जनपद औरैया।

3–असद उर्फ पोपे निवासी विवेकानन्द स्कूल के पास थाना सहार जनपद औरैया।

बरामदगी

1–लूट के 02 लाख 53 हजार 200 रूपये नगद।

2–01 लैपटॉप।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद रामपुर/थाना जीआरपी रामपुर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 38 हजार 500 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19.04.2026 को थाना जीआरपी रामपुर, थाना बिलासपुर व आरपीएफ रूद्रपुर सिटी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन बिलासपुर के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–मिश्रा सिंह घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–गौरव 3–गुरदेव उर्फ डेविड 4–भारत सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 38 हजार 500 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.04.2026 को थाना जीआरपी रामपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जीआरपी रामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जीआरपी रामपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मिश्रा सिंह निवासी वार्ड नं0–6 कस्बा व थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

2–गौरव निवासी ग्राम रम्पुरा थाना रूद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

3–गुरदेव उर्फ डेविड निवासी ग्राम ढयूडी थाना नानकमत्ता जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

4–भारत निवासी ग्राम रम्पुरा थाना रूद्रपुर जनपद उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–लूट के 01 लाख 38 हजार 500 रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना जहानागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु की सिल्ली (34 ग्राम), सफेद धातु के आभूषण व सिक्के**
- **40 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 18.04.2026 को थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गम्भीरवन क्षेत्र में बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त संजय उर्फ संजू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु की सिल्ली (34 ग्राम), सफेद धातु के आभूषण व सिक्के, 40 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14/15.03.2026 को थाना जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय उर्फ संजू निवासी जनपद धर मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली धातु की सिल्ली (34 ग्राम), सफेद धातु के आभूषण व सिक्के।

2–40 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

- **जनपद आजमगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 06 करोड़ 20 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस ने अभियुक्त संजय यादव पुत्र गनेश यादव निवासी जिगरसण्डी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, मूलपता ग्राम बनकटा थाना बहरियाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा अपने परिवारीजन के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 06 करोड़ 20 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

——————